


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. बनाम नोरतन चौधरी व अन्य

प्रकरण संख्या 36/2024 (धारा 14 सिविल रिट आर्डिनेंस एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । बन्धक सम्पत्ति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	